प्रेस नोट

दिनांक 14.04.2025

थाना जरिया पुलिस द्वारा छेड़छाड़ का वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वादी निवासी थाना जरिया जनपद हमीरपुर ने उपस्थित थाना आकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया कि उसकी पुत्री (उम्र करीब 08 वर्ष) के साथ दिनांक 13.04.2025 को आरोपी अंसार आलम पुत्र अनामुलहक निवासी बिहार के द्वारा बहला फुसला कर छेड़खानी व अश्लील हरकत की गई।

वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जरिया पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं अभियोग नामजद उपरोक्त अभियुक्त के विरुध्द पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 14.04.2025 को जरिये मुखबिर खास उपरोक्त अभियुक्त के बीरा पुल से उमरिया जाने वाले सर्विस रोड़ के पास होने की सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर खास के बताये हुए स्थान पर पुलिस टीम पहुंची थी कि पुलिस से घिरा हुआ देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जबाबी कार्यवाही में अभियुक्त के बाये पैर के घुटने के नीचे गोली लगी तथा अभियुक्त के पास, मौके से ही एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस तथा 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहाण्ड जरिया भेजा गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस तथा 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 मयंक चंदेल (थानाध्यक्ष)
2.उ0नि0 रमाकांत शुक्ला
3.मुख्य आरक्षी शिवेंद्र यादव
4.आरक्षी कपिल कुंतल
5.आरक्षी मनोज यादव
6.आरक्षी अभिनव सिंह
7.आरक्षी रिझुल मुखरैया